प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
प्र. ई. रि. स. – 115/22 दिनांक – 6-4-2022
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारा – 7
(ब) अधिनियम – .... धाराये – ....
(स) अधिनियम – .... धाराये – ....
(द) अन्य अधिनियम – .... धाराये – ....
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 108 समय – 3:15 Pm
ब. अपराध के घटने का दिन – मंगलवार, दिनांक – 05.04.2022 समय – 04:52 पीएम
स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 03.03.2022 समय – 02:00 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख दक्षिण–पूर्व 45 किलोमीटर लगभग
(ब) पता :– कार्यालय पटवार मण्डल ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी का नाम
1. (अ) नाम – श्री भूराराम (ब) पिता/पति का नाम – श्री राजुराम दहिया
(स) जन्म तिथि/वर्ष – 38 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
(य) व्यवसाय – ड्राईवर (र) पता – ग्राम रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
01. श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल कच्ची बस्ती भूरा टीब्बा हरमाड़ा घाटी पुलिस थाना हरमाड़ा सीकर रोड़ जयपुर जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नहीं

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 1500/– रूपये**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)............ कोई नहीं................
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट....................

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

SU जोधपुर ।

विषयः– ट्रेप की कार्यवाही करवाने हेतु।

महोदयजी,

निवेदन है कि में भूराराम दहिया S/O श्री राजुराम उम्र 38 वर्ष निवासी रामपुरिया भाटीयान त. बिलाड़ा जोधपुर का रहने वाला हूँ। में ड्राईविग का कार्य करता हूँ। मेरे ग्राम में मेरे ताउजी श्री लादुराम S/O जवाहरराम जी ने कृषि भूमि ख. 119/3 रकबा 1.8364 हेक्टर में से 0.5097 हेक्टर खातेदारी भूमी दिनांक 05.07.2021 को जरिये बक्सीस नाम मुझे दि गयी है जिसकी उप पंजियक बिलाडा में रजिस्ट्री करवाई गई है। उक्त जमीन का म्यूटेशन भरने हेतु पटवार मंडल ओलवी के पटवारी श्री प्रमोद जी के पास गया तो उन्होने कहा कि म्यूटेशन भरने के कागज तभी लुंगा जब खर्चा–पानी के 2,000 रूपये दोगे। तब मैने पटवारी जी श्री प्रमोद जी से कहा कि मेरी पुश्तेनी जमीन में भी बटवारे का कार्य करना है जो लगभग 150 बीघा है तब पटवारी जी ने कहा कि आपसी बटवारा के बिघे के हिसाब से प्रति बिघा 300 रूपये खर्च पानी के अलग से लगेंगे। श्रीमान जी मे मेरे विधिक कार्य के बदले में कोई रिश्वत रासी नही देना चाहता हूँ बल्लकी रिश्वत लेते हुऐ पटवारी श्री प्रमोद जी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ अतः कानुनी कार्यवाही करें। मेरी पटवारी जी से कोई व्यक्तिगत दूश्मनी नही है एवं ना ही कोई लेनदेन बकाया है। प्रथना पत्र के साथ मेरे पहचान पत्र की फोटो प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज पेश कर रहा हूँ।

Date
03-03-2022

एसडी
दुर्गसिंह
3/3/2022

एसडी
(भूराराम S/O राजुराम)
9784665370.
रामपुरिया भाटियान त.
बिलाड़ा जोधपुर

एसडी नितेश कुमार
05.04.2022

एसडी राकेश कुमार
05.04.2022

कार्यवाही पुलिस, दिनांक 03.03.2022 समय 02:00 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री भूराराम पुत्र श्री राजुराम उक्तरोक्त हस्तलिखित रिपोर्ट के साथ कार्यालय उपस्थित आया। मजमून रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जानें से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एसडी
(भूराराम)
03.03.2022

एसडी
(दुर्गसिंह राजपुरोहित)
अति.पुलिस अधीक्षक
03.03.2022

एसडी नितेश कुमार
05.04.2022

एसडी राकेश कुमार
05.04.2022

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 03.03.2022 समय 02.00 पी.एम.

इस समय परिवादी श्री भूराराम पुत्र श्री राजुराम जाति दहिया उम्र 38 साल निवासी गांव रामपुरिया भाटीयान तहसील बिलाडा जिला जोधपुर ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट मन् डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर के समक्ष इस आशय की पेश की कि " निवेदन है कि में भूराराम दहिया S/O श्री राजुराम उम्र 38 वर्ष निवासी रामपुरिया भाटीयान त. बिलाड़ा जोधपुर का रहने वाला हूँ। में ड्राईविग का कार्य करता हूँ। मेरे ग्राम में मेरे ताउजी श्री लादुराम S/O जवाहरराम जी ने कृषि भूमि ख. 119/3 रकबा 1.8364 हेक्टर में से 0.5097 हेक्टर खातेदारी भूमी दिनांक 05.07. 2021 को जरिये बक्सीस नाम मुझे दि गयी है जिसकी उप पंजियक बिलाडा में रजिस्ट्री करवाई गई है। उक्त

जमीन का म्यूटेशन भरने हेतु पटवार मंडल ओलवी के पटवारी श्री प्रमोद जी के पास गया तो उन्होने कहा कि म्यूटेशन भरने के कागज तभी लुंगा जब खर्चा–पानी के 2,000 रूपये दोगे। तब मैने पटवारी जी श्री प्रमोद जी से कहा कि मेरी पुश्तेनी जमीन में भी बटवारे का कार्य करना है जो लगभग 150 बीघा है तब पटवारी जी ने कहा कि आपसी बटवारा के बिघे के हिसाब से प्रति बिघा 300 रूपये खर्च पानी के अलग से लगेंगे। श्रीमान जी मे मेरे विधिक कार्य के बदले में कोई रिश्वत रासी नही देना चाहता हूँ बल्लकी रिश्वत लेते हुऐ पटवारी श्री प्रमोद जी को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ अतः कानुनी कार्यवाही करें। मेरी पटवारी जी से कोई व्यक्तिगत दूश्मनी नही है एवं ना ही कोई लेनदेन बकाया है। प्रथना पत्र के साथ मेरे पहचान पत्र की फोटो प्रति एवं आवश्यक दस्तावेज पेश कर रहा हूँ।" परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से कार्यालय के श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 व परिवादी श्री भूराराम का आपसी परिचय करवाया गया। श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 से कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मालखाने से निकलवाकर मंगवाया गया तथा परिवादी श्री भूराराम को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि से समझाईश की गई। तत्पश्चात कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को सुपर्द कर परिवादी श्री भूराराम व आरोपी श्री प्रमोद पटवारी पटवार मण्डल ओलवी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन करवाकर लानें हेतु परिवादी श्री भूराराम एवं श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 को आवश्यक हिदायत देकर कार्यालय से पटवार मण्डल ओलवी के लिए रवाना किया गया। वक्त 06. 30 पी.एम. श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 मय परिवादी श्री भूराराम के कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर उपस्थित आये और श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर सुपर्द कर बताया कि "मैं व परिवादी श्री भूराराम आज दिनांक 03.03.2022 को कार्यालय से रवाना होकर 04.30 पी.एम. के आसपास पटवार मण्डल ओलवी के पास पहुंचे। जहां पर मन् कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर परिवादी श्री भूराराम को सुपुर्द कर मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु पटवारी के पटवार कार्यालय ओलवी की ओर रवाना किया तथा स्वयं आस पास गोपनीय रूप से मुकिम रहा। कुछ समय बाद परिवादी पुनः मेरे पास आया तथा रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे मैंने ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा व परिवादी ने मुझे बताया कि पटवारी श्री प्रमोद से मांग सत्यापन वार्ता हो गई है। पटवारी श्री प्रमोदजी ने मेरी पुश्तेनी जमीन का म्यूटेशन भरने के एवज में मेरे से 2000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है मेरे द्वारा कम करने का अनुग्रह करने पर बडी मुश्किल से 1500 रूपये की रिश्वत राशि लेने की सहमति दी है उसके बाद हम दोनो ग्राम ओलवी से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आये।" श्री भंवरलाल कानि. नम्बर 501 के उक्त कथनो की ताईद परिवादी श्री भूराराम द्वारा की गई। जिस पर कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर उक्त मांग सत्यापन वार्ता को सुना गया तो परिवादी श्री श्री भूराराम के बताये गये तथ्य की पुष्टि हुई। मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुरक्षित अभिरक्षा में रखा व परिवादी श्री भूराराम को कार्यवाही की गोपनियता रखने रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया।

दिनांक 04.04.2022 वक्त 08:00 पी.एम. इस समय परिवादी श्री भूराराम ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये व्हॉट्सएप कॉल कर कहा कि "इतने दिन पटवारी श्री प्रमोद जी जयपुर गये थे बीच में छुट्टीया आ गई थी व मेरे परिवार में शादी होने से मैं आपसे सम्पर्क नहीं कर पाया आज मैनें पता किया है कि पटवारी श्री प्रमोद जी कल ओलवी में स्थित पटवार कार्यालय में ही मिल जायेगें। पटवारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 1500 रूपये में पटवारी शायद नहीं मानेगा इसलिए पटवारी द्वारा मांगी गई पूरे 2000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था हो गई है तथा मैं कल दिनांक 05.04.2022 को सुबह एसीबी एसयू कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा।" जिस पर अग्रिम कार्यवाही करने का निर्णय लिया जाकर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध करवाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर को जरिये तहरीर क्रमांक 732 दिनांक 04.04.2022 के दो गवाहों को दिनांक 05.04.2022 को समय 09:30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबंद करने हेतु जरिये दुरभाष अनुरोध किया गया। वक्त 08:51 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास अन्य ए.सी.बी. कार्यालयो का अतिरिक्त चार्ज होने एवं राजकार्य मे व्यस्त होने से श्री मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर को कल दिनांक 05.04.2022 को इस कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया व हालात उच्चाधिकारियों को बताये गये।

दिनाकं 05.04.2022 वक्त 10:00 ए.एम. श्री मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय कानि. श्री रूपसिंह 583 भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशनुसार गोपनीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में उपस्थित आये। जिन्हें गोपनीय कार्यवाही से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री भूराराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र से सम्बन्धित पत्रावली एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें परिवादी एवं आरोपी के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड है को सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

वक्त 10:40 ए.एम. पर पुर्व से तलबीशुदा दो स्वतंत्र गवाहान सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से कार्यालय हाजा उपस्थित आये। जिनसे मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय करने पर उन्होने बारी–बारी अपना परिचय श्री नितेश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति सोनी उम्र 31 साल निवासी नरसिंगजी की प्याउ माता का थाना रोड़ जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर मोबाईल नम्बर 9166531398 तथा श्री राकेश कुमार पुत्र स्व. श्री प्यारेलाल जाति कौली उम्र 38 साल निवासी 6 डब्ल्यू 873 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर मोबाईल नम्बर 8890508422 के रूप में दिया। जिन्हे मंन्तव्य से अवगत करवाया गया।

वक्त 11:50 ए.एम. पुर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री भूराराम रिश्वति राशि 2000 रूपयें की व्यवस्था कर कार्यालय हाजा उपस्थित आया है। जिस पर पूर्व से कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी का आपसी परिचय करवाया गया। मन् मनीष वैष्णव पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री भूराराम द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ़कर दोनों गवाहान को सुनाई गई और दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढवायी गई। परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट को पढ–सुन दोनों गवाहान द्वारा ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमति प्रदान की गई एवं परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट के संलग्न दस्तावेजात की फोटो प्रतिया पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान नें अपने अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 03.03.2022 को परिवादी श्री भूराराम एवं आरोपी श्री प्रमोद पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता, की रिकॉर्डिंग के मुख्य –मुख्य मांग अंश को सुनाया गया। कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से अपने पास मे रखा। उक्त वार्ता की आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। तत्पश्चात वक्त 12:05 पी.एम. पर दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री भूराराम पुत्र श्री राजुराम दहिया उम्र 38 वर्ष निवासी रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर द्वारा रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री भूराराम ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ– पाँच सौ रूपयें के 04 नोट कुल राशि 2,000/– रूपये पेश किये जिस पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई गई। जिस पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 ने मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी लेकर आई तथा उक्त 500–500 रूपये के 04 नोटों पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से अखबार के उपर रखकर नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री भूराराम की जामा तलाशी गवाह श्री नितेश कुमार से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9784665370 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 2000/–रूपये जो श्री प्रमोद, पटवारी, पटवार मण्डल ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी भूराराम के पहने हुए कमीज के सामनें की बांयी जेब में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भूराराम को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावें। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर शहर के मोबाईल नंबर 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्रीमती सुशीला के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस

अखबार पर रख कर नोटों एवं दोनों सफेद लिफाफो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। अब तक की कार्यवाही के हालात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल युनिट, जोधपुर को निवेदन किये जाकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात वक्त 01:10 पी.एम. परिवादी श्री भूराराम को छोड़कर समस्त ब्यूरो टीम व दोनों स्वतन्त्र गवाहान के साबुन से साफ हाथ धुलवाये गये व ब्यूरो स्टाफ की आपसी जामा तलाशी लिरवाई जाकर अपने–अपने विभागीय परिचय–पत्र एवं अपने–अपने मोबाईल फोन पास में रहने दिये गये। कोई भी आपत्तिजनक वस्तु, राशि एवं दस्तावेजात किसी के पास नहीं रहने दिये गये मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा खर्चे के 1,000 रूपये अपने पास रखे।

वक्त 01:25 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री नितेश कुमार एवं श्री राकेश कुमार मय परिवादी श्री भूराराम, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज हैड कानि. 63, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री रूपसिंह कानि. 583, श्री रामचन्द्रसिह कानि. 432 मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पत्रावली, ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खमाराम कानि. चालक के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट, जोधपुर से गांव ओलवी के लिए रवाना होकर वक्त 04.10 पी.एम. पर ओलवी गांव के बाहर पहुचें।

वक्त 04.23 पी.एम. पर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 को कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादी को आरोपी पटवारी से मिलने से पूर्व ऑन कर देने की हिदायत कर परिवादी के साथ श्री प्रमोद कुमार पटवारी के कार्यालय पटवार मण्डल ओलवी की ओर पैदल रवाना किया गया। श्री रामचन्द्रसिंह कानि. एवं परिवादी के पीछे–पीछे श्री प्रकाश कानि. को हिदायत कर पैदल रवाना किया गया तथा मन् निरीक्षक पुलिस मय शेष हमरायन के ओलवी गांव के बाहर मुख्य रोड़ पर ब्यूरो के सरकारी वाहन को गोपनीय रूप से खड़ा करवाकर रिश्वत राशि लेन–देन के इंतजार में मुकिम हुए।

वक्त 04:43 पी.एम. पर परिवादी श्री भूराराम ने पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा अपने मोबाईल नम्बर 9784665370 से मेरे मोबाईल नम्बर 9530292476 पर मन निरीक्षक पुलिस को कॉल कर रिश्वत राशि लेन–देन होने की जरिये मोबाईल सूचना दी। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमरायन के लेन–देन स्थान कार्यालय पटवार मण्डल ओलवी सरकारी वाहन के रवाना होकर पहुंचा, जहां पर श्री प्रकाश कानि. एवं श्री रामचन्द्रसिंह कानि. मय परिवादी के उपस्थित मिले। जहां परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर श्री रामचन्द्रसिंह कानि. द्वारा पूर्व में हिदायत अनुसार प्राप्त एवं स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया गया। जिसको मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जायेगी। परिवादी ने मौके पर मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि "पटवारी प्रमोद कुमार ने मुझसे 2000/– रूपये रिश्वत राशि लेकर उसमें से 500 रूपये मुझे वापस लौटा दिये तथा शेष 1500/–रूपये रिश्वती राशि मुझसे प्राप्त कर अपनी पहनी हुई कमीज की उपर की बायीं जेब में रखी है" जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने कार्यालय पटवार मण्डल ओलवी में उपस्थित व्यक्ति को अपना एवं हमरायन का परिचय देते हुए मन्तव्य से अवगत करवाकर उसका परिचय पूछा तो उक्त व्यक्ति ने अपना परिचय श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल कच्ची बस्ती भूरा टीब्बा हरमाड़ा घाटी सीकर रोड़ जयपुर पुलिस थाना हरमाड़ा जिला जयपुर होना बताया। इस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने श्री प्रमोद कुमार के दोनों हाथ कलाई से ब्यूरो जाब्ता श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 एवं श्री प्रकाश कानि. 265 से पकड़वाये गये तथा श्री प्रमोद कुमार को परिवादी से 2000 रिश्वत राशि लेने के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि परिवादी श्री भूराराम ने मुझे अभी 2000 रूपये दिये थे जिसमें से मैनें 500 रूपये परिवादी को वापस लौटा दिये तथा शेष 1500 रूपये मैनें अपने पहनी हुई कमीज की उपर की बायीं की जेब में रख दिये है। परिवादी ने पटवारी श्री प्रमोद कुमार की उपस्थिति में बताया कि 'यही पटवारी प्रमोद कुमार है जिन्होने मेरे ग्राम रामपुरिया भाटीयान में मेरी पुश्तैनी जमीन में मेरे स्वयं के नाम म्यूटेशन भरने के एवज में पटवारी श्री प्रमोद कुमार, पटवार मण्डल ओलवी ने अभी अभी 1500 रूपये रिश्वती राशि ली है जो इन्होनें मुझसे प्राप्त कर अपनी पहनी हुई कमीज की उपर की बायीं जेब में रखें है। जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री नितेश कुमार से आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी की पहनी हुई कमीज की उपर की बायीं जेब की तलाशी लिरवाई गई तो श्री प्रमोद कुमार की पहनी हुई कमीज की उपर की बायीं जेब से 500–500 रूपये के 03 नोट होना पाये गये। जिस पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार को फर्द पेशकशी सुपुर्द कर नोटों के नम्बर बोलकर श्री नितेश कुमार से मिलान करवाया गया तो राशि फर्द पेशकशी के अनुसार हुबहू होना पाई गई। उक्त रिश्वत राशि को श्री नितेश कुमार के पास ही रहने दी गई। परिवादी श्री भूराराम ने पटवारी श्री प्रमोद कुमार से प्राप्त 500 रूपये मन निरीक्षक पुलिस को रूबरू गवाहन के पेश किया। उक्त 500 रूपये के नोट का स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार को फर्द पेशकशी सुपुर्द कर नोट का नम्बर बोलकर श्री नितेश कुमार से

मिलान करवाया गया तो उक्त 500 रूपये का नोट फर्द पेशकशी के अनुसार हुबहू होना पाया गया। उक्त नोट को श्री नितेश कुमार के पास ही अलग से सुरक्षित रहने दिया गया।

आरोपी श्री प्रमोद कुमार से परिवादी श्री भूराराम के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित कागजात के सम्बंध में पूछा गया तो आरोपी ने अपने कार्यालय की टेबल की अलमारी में रखे कागजात में से परिवादी श्री भूराराम से सम्बंधित कागजात पेश किये जिन्हें मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे लिये।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी भूराराम एवं ब्यूरों जाब्ता के रूबरू सरकारी वाहन में से ट्रेप बॉक्स मंगवाकर आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलासो में कार्यालय पटवार मण्डल ओलवी में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की दो गिलासों को आधा–आधा भरवाया गया। उक्त दोनों गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो दोनों गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री प्रमोद कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 एवं आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री प्रमोद कुमार के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबो कर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित किया गया।

तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री नितेश कुमार के पास सुरक्षित रखी रिश्वत राशि से स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार को फर्द पेशकशी सुपुर्द कर पुनः मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी के अनुसार राशि 1500 रूपये फर्द के मुताबिक होना पाई गई, जिनका विवरण निम्न प्रकार हैं:–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 EA 313944
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 BC 715373
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 NP 242894

उक्त भारतीय मुद्रा 1500 रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर, चिट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये तथा एक 500 रूपये का नोट को श्री नितेश कुमार के पास ही अलग से सुरक्षित रहने दिया गया था जिसको आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी द्वारा परिवादी को लौटाया गया 500, का नोट का स्वतंत्र गवाह श्री राकेश कुमार को फर्द पेशकशी सुपुर्द कर उक्त नोट का पुनः मिलान करवाने पर फर्द पेशकशी के अनुसार होना पाया गया उक्त 500 रूपयें के एक नोट का विवरण निम्न प्रकार हैं 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3 MS 109637 होना पाया गया, उक्त 500 रूपये के नोट को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े में सील चिट कर, चिट पर प्रकरण का विवरण अंकित कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये।

आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 2000 रूपये प्राप्त कर गिनकर उक्त रिश्वती राशि 2000 रूपये में से 500 रूपये परिवादी को पुनः वापस लौटाकर 1500 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपने पहने हुए कमीज की उपर की बायीं जेब में रखे गये थे, जिससे आरोपी के उक्त कमीज की उपर की बायीं जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से श्री प्रमोद कुमार के पहने हुए कमीज को उतरवाकर तथा एक अन्य कमीज की व्यवस्था कर आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी को पहनवाया गया। उक्त कमीज की उपर की बायीं जेब के धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से एक कॉच के साफ गिलास निकाल कर उक्त कॉच की गिलास में कार्यालय में से साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर उक्त कांच की गिलास को आधा भरवाया गया। उक्त गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा, जिसे सम्बंधितगण ने रंगहीन होना स्वीकार किया। गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री प्रमोद कुमार के पहनी हुई कमीज की उपर की बायी जेब को उलटकर डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया जिसे सम्बंधितगण ने गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा–आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क के–1 एवं के–2 अंकित किया गया। आरोपी के उक्त कमीज की उपर की बायीं जेब जहां परिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त कर रखी गई थी एवं उक्त कमीज की उपर की बायीं जेब का धोवन लिया गया था उक्त कमीज की जेब पर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर उक्त कमीज को एक कपडें की थैली में डालकर सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित करवाकर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली पर मार्क–के अंकित कर कब्जा ब्यूरो लिया गया।

इसके उपरांत आरोपी श्री प्रमोद कुमार से परिवादी श्री भूराराम के पैण्डिंग कार्य से सम्बंधित कागजात के सम्बंध में पूछकर आरोपी ने अपने कार्यालय की टेबल की अलमारी में रखे कागजात में से परिवादी श्री भूराराम से सम्बंधित कागजात पेश किये जिन्हें मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने कब्जे लिये थे को उक्त परिवादी के कार्य से

संबंधित कागजातों का अवलोकन किया गया तो उक्त कागजात के पेज संख्या 01 से 09 तक होना पाये गये। उक्त कागजातों के क्रम संख्या 01 व 09 पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट किये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी की जामा तलाशी गवाह श्री नितेश कुमार से लिरवाई गई तो आरोपी श्री प्रमोद कुमार के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब से प्रमोद कुमार का आधार कार्ड की फोटो प्रति मिली जिसे आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी के कहे अनुसार उनके टेबल की दराज में वापस रखी गई।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल कच्ची बस्ती भूरा टीब्बा हरमाड़ा घाटी सीकर रोड़ जयपुर पुलिस थाना हरमाड़ा जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई।

अतः अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल कच्ची बस्ती भूरा टीब्बा हरमाड़ा घाटी सीकर रोड़ जयपुर पुलिस थाना हरमाड़ा जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। वक्त 06:50 पी.एम पर आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी मय ट्रैप बॉक्स, जब्तशुदा प्रादर्श इत्यादि ब्यूरो जाब्ता सुपुर्द कर मन् निरीक्षक पुलिस ने उपस्थित दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री भूराराम की निशादेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका पृथक् से मूर्तिब कर शामिल रनिंग नोट किया गया।

वक्त 07:15 पी.एम. पर बाद पुछताछ के आरोपी श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल कच्ची बस्ती भूरा टीब्बा हरमाड़ा घाटी सीकर रोड़ जयपुर पुलिस थाना हरमाड़ा जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर को उसके संवैधानिक अधिकारो व उसके जुर्म से अवगत करवाकर अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। जिसकी फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जाकर शामिल रनिंग नोट की गयी। तत्पश्चात वक्त 08:39 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने मोबाईल फोन 9530292476 से तहसीलदार बिलाड़ा को सरपंच ग्राम ओलवी श्री अशोक कुमार के द्वारा बताये गये मोबाईल नम्बर 9413042051 पर कॉल किया तो तहसीलदार साहब द्वारा कोई प्रतिउत्तर नहीं मिला जिस पर पटवार मण्डल ओलवी कार्यालय को बन्दकर ताला लगवाकर श्री अशोक कुमार विश्नोइ सरपंच ग्राम ओलवी को आवश्यक हिदायत देकर चाबी सुपुर्द की गई।

इसके बाद वक्त 08:45 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री नितेश कुमार एवं श्री राकेश कुमार मय परिवादी श्री भूराराम, ब्यूरो जाब्ता, आरोपी श्री प्रमोदकुमार पटवारी मय कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर एवं ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप–प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री, ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली मय दस्तावेजात, एवं ट्रेप कार्यवाही में श्री प्रमोदकुमार पटवारी से सम्बंधित दोनों हाथों के धोवन का जब्तशुदा शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2 मार्क एल.एच.–1, एल.एच.–2 आरोपी श्री प्रमोद कुमार के पहनी हुई कमीज की उपर की बायी जेब के धोवन का सिल्डशुदा सैम्पल मार्क के–1, के–2 आरोपी के कमीज का सील्डशुदा पैकेट मार्क–के, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 15,00 रूपये आरोपी द्वारा रिश्वति राशि में से परिवादी को लौटायी गयी राशि 500 रूपये शील्ड शुदा, के जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खमाराम कानि. चालक के पटवार मण्डल कार्यालय ओलवी से कार्यालय एसीबी एसयू जोधपुर हेतु रवाना होकर वक्त 09:50 पी.एम पर उपरोक्त फिकरा का पटवार कार्यालय ओलवी से रवानाशुदा हमरायन मय आरोपी जरिये सरकारी वाहन टवेरा मय श्री खमाराम कानि. चालक के कार्यालय एसीबी एसयू पहुंचा एवं ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री प्रमोदकुमार पटवारी से सम्बंधित दोनों हाथों के धोवन का जब्तशुदा शील्ड शुदा सैम्पल मार्क आर.एच.–1, आर.एच.–2, मार्क एल.एच. –1, एल.एच.–2, आरोपी आरोपी श्री प्रमोद कुमार के पहनी हुई कमीज की उपर की बायी जेब के धोवन का सिल्डशुदा सैम्पल मार्क के–1, के–2, आरोपी के कमीज का सील्डशुदा पैकेट मार्क–के, शील्ड शुदा रिश्वति राशि 15,00 रूपये आरोपी द्वारा रिश्वति राशि मे से परिवादी को लौटायी गयी राशि 500 रूपये शील्ड शुदा, को श्री मेघराज हैड कानि. 63 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में ईन्द्राज करवा कर जमा मालखाना करवायें गये। तत्पश्चात वक्त 09:55 पी.एम दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री नितेश कुमार एवं श्री राकेश कुमार तथा परिवादी श्री भूराराम को दिनांक 06.03.2022 को समय 08 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने की हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किये गये। तत्पश्चात वक्त 10:00 पी.एम आरोपी श्री प्रमोदकुमार पटवारी के स्वास्थ्य परीक्षण, कोविड परीक्षण तथा कार्यालय में हवालात की व्यवस्था नही होने के कारण रात्रि राहदारी हेतु पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में रखनें हेतु पृथक–पृथक तहरीर जारी कर श्री अयूब खान, उप निरीक्षक पुलिस को तहरीरे सुपुर्द कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण, कोविड परीक्षण करवाने तथा पुलिस थाना उदयमन्दिर में जमा करवाने हेतु श्री अयूब खान उप निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री प्रकाश कानि., श्री अर्जुनसिंह कानि. को सरकारी वाहन मय चालक खम्माराम सहित रवाना किये गये। वक्त 11.05 पी.एम पर श्री अयूब खान उप निरीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री प्रकाश कानि. मय सरकारी वाहन मय चालक खम्माराम के आरोपी श्री प्रमोदकुमार पटवारी का

राजकीय चिकित्सालय सेटेलाइट पावटा से स्वास्थ्य परीक्षण एवं कोविड–19 परीक्षण राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय से करवाकर आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर की हवालात में जमा करवाकर उपस्थित कार्यालय आए। तहरीरें प्रस्तुत की जिसे शामिल रनिंग नोट किया गया। कोविड–19 परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर आईन्दा शामिल पत्रावली की जावेगी।

दिनांक 06.04.2022 वक्त 08:30 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री नितेश कुमार एवं श्री राकेश कुमार कार्यालय हाजा उपस्थित आये है। वक्त 09.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी भी श्री भूराराम कार्यालय हाजा उपस्थित आया है।

तत्पश्चात वक्त 09:50 ए.एम. परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री भूराराम एवं आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 03.03.2022 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप को दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. 432 से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने वार्तालाप में एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडीयां तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडीयों को डब सीडी मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को जमा करवाने हेतु सुपुर्द की गई। तत्पश्चात वक्त 11:35 ए.एम पर परिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ कार्यालय का डिजिटल वाईस टेप रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री भूराराम एवं आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी के मध्य दिनांक 05.04.2022 को रिश्वती राशि लेन–देन रूबरू वार्तालाप रिकॉर्ड है। उक्त वार्तालाप को दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष कार्यालय के कम्प्यूटर में श्री रामचन्द्रसिंह कानि. नम्बर 432 से कॉपी करवाकर दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन व समझकर शब्द ब शब्द फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वती राशि लेनदेन वार्तालाप श्री रामचन्द्रसिंह कानि. से फर्द मुर्तिब करवाई गई। परिवादी ने वार्तालाप में एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी की होना बताया। उक्त फर्द पर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता की तीन सीडी तैयार की गई। जिसमें से एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में सिलाई कर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाये गये व वार्ता की दो सीडीयों को डब सीडीयां मानते हुए खुली हालात में रखी गई। जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु व दूसरी सीडी आरोपी की मानकर तैयार की गई है। कार्यवाही के दौरान तैयार की गई सीडीयां मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैड कानि. नम्बर 63 को जमा करवाने हेतु सुपुर्द की गई। इसी दौरान आरोपी को पुलिस थाना उदयमन्दिर से प्राप्त कर लाने हेतु मय ब्यूरों जाब्ता के श्री अयूब खॉ उप निरीक्षक को मय सरकारी वाहन व चालक के रवाना किया गये थे, जो वक्त 12:30 पी.एम पर मय आरोपी श्री प्रमोद कुमार के उपस्थित कार्यालय हाजा आये। तत्पश्चात वक्त 01:15 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही में दोनों स्वतन्त्र गवाहान नितेश कुमार व श्री राकेश कुमार तथा परिवादी भूराराम की कार्यवाही में कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण स्वतंत्र गवाहान श्री नितेश कुमार व श्री राकेश कुमार एवं परिवादी श्री भूराराम को कार्यालय से रूखसत किये गये।

अब तक की कार्यवाही से श्री भूराराम पुत्र श्री राजुराम जाति दहिया उम्र 38 साल निवासी गांव रामपुरिया भाटीयान तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की पुश्तैनी जमीन में नामान्तरण की एवज में दिनांक 03.03.2022 को परिवादी की हस्तलिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का पाया जाने पर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करवाया गया तो परिवादी श्री भूराराम पुत्र श्री राजुराम जाति दहिया उम्र 38 साल निवासी गांव रामपुरिया भाटीयान तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की पुश्तैनी जमीन में नामान्तरण की एवज में दिनांक 03.03.2022 को आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी, पटवार मण्डल ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर द्वारा 2000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना, परिवादी द्वारा बार–बार राशि कम करने की प्रार्थना करने पर 1500 रूपये रिश्वती राशि तय करना आरोपी श्री प्रमोद कुमार द्वारा परिवादी श्री भूराराम से दिनांक 05.04.2022

को दौरानें रिश्वति राशि लेन देन आरोपी श्री प्रमोद कुमार पटवारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि 2000 रूपये प्राप्त कर गिनकर उक्त रिश्वती राशि 2000 रूपये में से 500 रूपये परिवादी को पुनः वापस लौटाकर 1500 रूपयें प्राप्त कर अपने पहनें हुए कमीज की उपर की जेब में रखना, दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री प्रमोद कुमार के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन हल्का गुलाबी व बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त होना, आरोपी श्री प्रमोद कुमार की पहनी हुई कमीज के उपर की बायीं जेब का धोवन गुलाबी प्राप्त होना तथा परिवादी श्री भूराराम के पुश्तैनी जमीन में नामान्तरण की एवज में पटवारी श्री प्रमोद कुमार द्वार परिवादी से 1500 रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करने के आरोप प्रमाणित पाये गये है।

अतः आरोपी श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति रेगर उम्र 26 साल निवासी पोंख तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं हाल कच्ची बस्ती भूरा टीब्बा हरमाड़ा घाटी पुलिस थाना हरमाड़ा सीकर रोड़ जयपुर जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार मण्डल ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(मनीष वैष्णव)

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रमोद कुमार, पटवारी, पटवार मण्डल ओलवी बिलाड़ा, जिला जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 115/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6/4/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 1018-22 दिनांक 6.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जोधपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।